सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **205/2017** दायर दिनाँक **19.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ईश्वरराम पुत्र मानाराम पुत्र मालाराम, जाति—जाट, उम्र—40साल, निवासी—डाकीपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भूराराम पुत्र स्वर्गीय परसाराम, उम्र—59साल, 2. गोरलीदेवी पत्नी स्वर्गीय परसाराम, 3. दुलाराम पुत्र स्वर्गीय परसाराम, 4. प्रकाश पुत्र स्वर्गीय गोदुराम, 5. भुवानाराम पुत्र स्वर्गीय गोदुराम, 6. चानूड़ी पत्नी स्वर्गीय गोदुराम, 7. सोहनराम पुत्र स्वर्गीय नारायण, 8. हणमानराम पुत्र स्वर्गीय नारायण, 9. नानूराम पुत्र स्वर्गीय नारायण, 10. कोयली पत्नी स्वर्गीय नारायण, समस्त,जाति—जाट, निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 11. मरूधरा थार ग्रामीण बैंक, शाखा—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्ता, वादी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–205/2017
दायर दिनाँक 19.07.2017, निर्णय दिनाँक 05.12.2017
ईश्वरराम बनाम् भूराराम, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 05.12.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद धनकोली में खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 69.01 बीघा, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 तक की संयुक्त खातेदारी की है। नकल खतौनी पेश है।

शरहद धनकोली में वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 69.01 बीघा में प्रतिवादी संख्या 01 भूराराम का 1/6 का हक हिस्सा यानि 230/1381 होने से, प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनाँक 13.01.2011 के द्वारा 205/1381 हिस्सा भूमि का बैचाण कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 01 को वास्तविक व भौतिक कब्जा प्राप्त सुपुर्द कर दिया जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख की प्रतिलिपि पेश है।

वादग्रस्त भूमि पर अपने बन्ट अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में से शेष भूमि का बैचाण वादी को कर कब्जा सम्भला दिया था जिस पर वादी पर काश्त करता है तथा समय–समय पर उक्त भूमि में खाद डलवाकर उपजाऊ बना रखा है।

वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 तक अलग–अलग रूप से अपने हक हिस्से अनुसार निम्न प्रकार से काबिज हैं:–

(अ) <u>वादी ईश्वराराम के कब्जा व हक हिस्से व अधिकार की भूमि</u>–

दक्षिणी पूर्वी रकबा 10.05 बीघा भूमि नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी अनुसार है।

(ब) <u>प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के के कब्जा व हक हिस्से व अधिकार की भूमि</u>–

मध्य की भूमि तथा पश्चिमी–दक्षिणी कुल रकबा 24.06 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार है।

(स) <u>प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 10 के के कब्जा व हक हिस्से व अधिकार की भूमि</u>–

उत्तरी दिशा की रकबा 34.10 बीघा भूमि नजरीनक्शा अनुसार है।

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी संयुक्त रूप से होने के कारण वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में जमीनों के भाव बढोतरी को देखते हुए, प्रतिवादीगण, वादी को बेदखल करने पर फिराक में है। अतः, वादी को यह वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 04, 05, 06, 07 व 09 के द्वारा हिस्सा रहन रखे जाने के कारण, मरूधरा थार ग्रामीण बैंक शाखा धनकोली को

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बतौर प्रतिवादी संख्या 11 बनाया गया है। आवश्यक कानूनी पक्षकार होने से तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा, वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से न होने से वादी को कठिनाईयां आने से व बन्वारे के लिए प्रतिवादीगण द्वारा मना करने तथा वादी को बेदखल करने की कुचेष्टा से निरन्तर वाद कारण अदालत हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद धनकोली में स्थित खेत खसरा नम्बर 1027 रकबा 69.01 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 तक के मध्य वाद वर्णित व संलग्न नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 तक के हिस्से अलग–अलग घोषित किए जाकर बाईमीट्स एवं बाउण्ड्स विधिवत् बन्टवारा फरमाया जाकर तद्नुसार रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", विक्रय–पत्र दिनाँक 13.01.2011 की छायाप्रति पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनक खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी की ओर से PW–01, अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 C.P.C. का पेश हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य वादी में, प्रदर्श–01, जमाबन्दी ग्राम धनकोली सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 46/331 की सत्यप्रतिलिपि, प्रदर्श–02, पँजीकृत विक्रय–पत्र की छायाप्रति व प्रदर्श–03, नक्शा ट्रेश मौजा धनकोली खसरा नम्बर 1027 की सत्यप्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी ने जरिये वकील निवेदन किया कि, प्रतिवादी संख्या 01 भूराराम पुत्र स्वर्गीय परसाराम द्वारा, शरहद धनकोली में खसरा नम्बर 1027 रकबा 69.01 बीघा में से अपने हिस्से की भूमि में से रकबा 10.05 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से वादी को बैचाण कर दिया गया है, इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जावे। वादी द्वारा पेश प्रदर्श–02 पँजीकृत विक्रय–पत्र में अंकन मुताबिक रकबा 10.05 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 भूराराम द्वारा वादी को बैचाण किया जाना, लिखित है। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मार्क ए बी सी डी अनुसार भूमि रकबा 10.05 बीघा की खातेदारी वादी के नाम से घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–205/2017
दायर दिनाँक 19.07.2017, निणर्य दिनाँक 05.12.2017
ईश्वरराम बनाम् भूराराम, वगैरा।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद घनकोली में खसरा नम्बर 1027 रकबा 69.01 बीघा में से, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बन्टवारा कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी मुताबिक, रकबा 10.05 बीघा भूमि का वादी ईश्वरराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **205/2017** दायर दिनाँक **19.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ईश्वरराम पुत्र मानाराम पुत्र मालाराम, जाति–जाट, उम्र–40साल, निवासी–डाकीपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भूराराम पुत्र स्वर्गीय परसाराम, उम्र–59साल, 2. गोरलीदेवी पत्नी स्वर्गीय परसाराम, 3. दुलाराम पुत्र स्वर्गीय परसाराम, 4. प्रकाश पुत्र स्वर्गीय गोदुराम, 5. भुवानाराम पुत्र स्वर्गीय गोदुराम, 6. चानूडी पत्नी स्वर्गीय गोदुराम, 7. सोहनराम पुत्र स्वर्गीय नारायण, 8. हणमानराम पुत्र स्वर्गीय नारायण, 9. नानूराम पुत्र स्वर्गीय नारायण, 10. कोयली पत्नी स्वर्गीय नारायण, समस्त,जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. मरूधरा थार ग्रामीण बैंक, शाखा–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– **88, 53, 188 R.T.Act.**

सहायक कलेक्टर

डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनाँक **05.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद घनकोली में खसरा नम्बर 1027 रकबा 69.01 बीघा में से, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बन्टवारा कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी मुताबिक, रकबा 10.05 बीघा भूमि का वादी ईश्वरराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ .....–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.12.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–205–2017/रीडर/2017/ 1158 दिनाँक 19-12-17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. ईश्वरराम पुत्र मानाराम पुत्र मालाराम, जाति–जाट, उम्र–40साल, निवासी–डाकीपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भूराराम पुत्र स्वर्गीय परसाराम, उम्र–59साल, जाति–जाट, निवासी–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner